

**संचालनालय पशुपालन**  
**कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश**

क्रमांक ६१६६ / स्था.ब / लिपिक / स्थानान्तरण / 2019

भोपाल, दिनांक ०५-०७-२०१९

// आदेश //

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 मे निहित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम क्र.-5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थानान्तरित कर पदस्थ किया जाता है-

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्वयं / प्रशा.
1	2	3	4	5	5
1	दिनेश कुमार गौतम	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं नरसिंहपुर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सिवनी	स्वयं
2	श्री गफ्फार खान	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं खण्डवा	कार्या. निवाड़ी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रोड़िया जिलाखरगोन	स्वयं
3	श्री नरेश कुमार पटेल	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं टीकमगढ़	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र देवरी जिला सागर	स्वयं
4	श्री योगेश कुमार संखवार	सहायक ग्रेड-2	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अशोकनगर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं श्योपुर	स्वयं
5	श्री अंकित कुमार जैन	सहायक ग्रेड-3	संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं भोपाल संभाग भोपाल	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मंदसौर	स्वयं
6	श्री सुहेल मो. कुरैशी	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं गुना	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अशोकनगर	स्वयं
7	श्री श्याम धुर्वे	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अनूपपुर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मण्डला	स्वयं
8	श्री विनोद कुमार जयन्त	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक प. चिकि. सेवाएं भिण्ड	कार्यालय उप संचालक प. चिकि. सेवाएं ग्वालियर	स्वयं

*M*

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्वयं/ प्रशा.
9	श्री विजेन्द्र सिंह राठौर	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अलीराजपुर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंदौर	स्वयं
10	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं श्योपुर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं भिण्ड	स्वयं

टीप:- स्थानान्तरित कर्मचारियों को समान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-6-1/2019/एक/9, भोपाल दिनांक 04.06.19 की कण्डिका-14, 15, 15(1) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि दो सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण क्रियान्वित होना माना जावेगा, एवं कण्डिका-16 अनुसार स्थानान्तरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा।

2. सहायक ग्रेड-3 की वरिष्ठता संभागीय स्तर पर होने के कारण, स्वेच्छा से दूसरे संभाग में स्थानान्तरित होने वाले सहायक ग्रेड-3 को वरिष्ठता छोड़नी होगी। इनकी वरिष्ठता नवीन संभाग में उपस्थिति दिनांक से मान्य की जावेगी।

(डॉ.आर.करिकडे)

संचालक

पशुपालन म.प्र.

भोपाल

पृ.क्रमांक...~~6967~~/स्था.ब/लिपिक/स्थानांतरण/2019 भोपाल, दिनांक 05-07-2019.

प्रतिलिपि:-निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी पशुपालन विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग ..... म.प्र.।
4. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला ..... म.प्र.। स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 में दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
5. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री ..... द्वारा संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग/जिला..... म.प्र.

संचालक

पशुपालन म.प्र.

भोपाल